छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय रायपुर

क्रमांक /वि.स./स्था /2015 रायपुर, दिनांक /2015

//कार्यालय -सूचना//

आदेशानुसार, छ.ग. शासन वित्त विभाग के वित्त निर्देश 15/2015 परिपत्र क्रमांक 145/एफ 2015-21-00650/वि/नि/चार नया रायपुर दिनांक 14.05.2015 के परिप्रेक्ष्य में सचिवालय में कार्यरत समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता सुविधा के लिए एक बार पुनः विकल्प देने या पूर्व में दिया विकल्प परिवर्तन करने हेतु दिनांक 31.07.2015 तक छूट दी जाती है । उक्त पुनरीक्षित विकल्प का लाभ विकल्प देने की तिथि से प्राप्त होगा एवं पूर्व तिथि के दावों पर इस विकल्प के आधार पर कार्यवाही नहीं की जावेगी ।

यह सुविधा वैकल्पिक है ।

अतः समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि जो कर्मचारी वर्तमान चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमों के स्थान पर 200/- प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता का विकल्प देना चाहते हैं अथवा 200/- प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता के स्थान पर वर्तमान चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति लेना चाहते है वे स्थापना शाखा से निर्धारित विकल्प का प्रारूप प्राप्त कर दिनांक 31.07.2015 तक अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं ।

आदेश से,
sd
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ. क्रमांक 799 /वि.स./स्था./2015 रायपुर, दिनांक 01/06 / 2015

<u>प्रतिलिपि</u>

01. माननीय अध्यक्ष के सचिव, छ.ग.विधान सभा, को मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
02 मान. नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के निज सचिव को मान. नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ।
03. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के निज सहायक को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
04. समस्त शाखा प्रभारी / कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय की ओर सूचनार्थ ।
05. सर्वर कक्ष

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा